न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर

प्रार्थना पत्र सख्या 46/2022

काना पुत्र श्री भॅवर, निवासी यादवों का बास, पाटन, जिला अजमेर

– प्रार्थी

बनाम

1. थानाधिकारी पुलिस थाना नसीराबाद सदर जिला अजमेर
2. जिला रसद अधिकारी अजमेर

– अप्रार्थी

उपस्थितः–

1. श्री प्रमोद भाटी अभिभाषक प्रार्थी

प्रार्थना पत्र वास्ते जब्तशुदा वाहन ट्रेलर संख्या आर.जे. 42 जीए 1965 छुडवाये जाने हेतु

–ःआदेशः–

दिनांक 28.02.2025

संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी काना पुत्र भॅवर, निवासी यादवों का बास, पाटन, जिला अजमेर के द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 451, 457 दण्ड प्रक्रिया संहिता वास्ते सुपुर्दगीनामें पर छोडे जाने ट्रेलर संख्या आर.जे. 42 जी ए 1965 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी के उक्त वाहन को पुलिस थाना मांगलियावास, जिला अजमेर द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 255/2021 में अपराध अन्तर्गत धारा 420, 285, 379, 411, 120 बी भारतीय दण्ड संहिता व धारा 3/4, 4/7, 7/8 आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत जब्त किया है। प्रार्थी उक्त वाहन का पंजीकृत स्वामी है तथा पुलिस द्वारा उक्त वाहन से सम्बन्धित अनुसंधान पूर्ण कर लिया गया है तथा पुलिस को अब उक्त वाहन की कोई आवश्यकता नहीं है तथा न्यायालय श्रीमान् मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अजमेर में चालान पेश हो चुका है। उक्त वाहन काफी समय से थाने में खुला खड़ा है जिससे उसके खराब होने की पूर्ण सम्भावना है। प्रार्थी का उक्त वाहन आजीविका का साधन भी है। लम्बे समय तक जब्त रहने से प्रार्थी के दैनिक जीवन पर विपरीत प्रभाव पडेगा। आवश्यक वस्तु अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार आवश्यक वस्तु अधिनियम में जब्त वाहन व माल में कार्यवाही करने का अधिकारी जिला रसद अधिकारी को है। परन्तु पुलिस ने रसद अधिकारी को कोई सूचना नहीं देकर आवश्यक वस्तु अधिनियम के प्रावधानों की अवहेलना की है। आवश्यक वस्तु अधिनियम में धारा 6 ए का इस्तगासा माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करने का अधिकार सिर्फ रसद अधिकारी को है, पुलिस को कोई अधिकार नहीं है। इस प्रकार पुलिस ने आवश्यक वस्तु अधिनियम की अवहेलना की है। इस आधार पर

जिला कलक्टर
अजमेर

प्रार्थी के जब्तशुदा वाहन को छोड़ा जाना न्यायहित में आवश्यक है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी के उक्त वाहन को सुपुर्दगीनामें पर छोड़े जाने बाबत उचित आदेश पारित फरमाये जावे कि न्यायोचित होगा।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर थानाधिकारी पुलिस थाना मांगलियावास व जिला रसद अधिकारी अजमेर से टिप्पणी तलब की गई। टिप्पणी प्राप्त होने पर पत्रावली वास्ते बहस नियत कर सुनवाई चाहने पर उपस्थित को सुना गया।

प्रार्थी अभिभाषक की बहस सुनी गई। प्रार्थी अभिभाषक ने बहस में कथन किया कि प्रार्थी के वाहन को पुलिस थाना मांगलियावास, जिला अजमेर द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 255/2021 में अपराध अन्तर्गत धारा 420, 285, 379, 411, 120 बी भारतीय दण्ड संहिता व धारा 3/4, 4/7, 7/8 आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत जब्त किया है। प्रार्थी उक्त वाहन का पंजीकृत स्वामी है तथा पुलिस द्वारा उक्त वाहन से सम्बन्धित अनुसंधान पूर्ण कर लिया गया है तथा पुलिस को अब उक्त वाहन की कोई आवश्यकता नहीं है तथा न्यायालय श्रीमान् मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेंट अजमेर में चालान पेश हो चुका है। उक्त वाहन काफी समय से थाने में खुला खड़ा है जिससे उसके खराब होने की पूर्ण सम्भावना है। प्रार्थी का उक्त वाहन आजीविका का साधन भी है। लम्बे समय तक जब्त रहने से प्रार्थी के दैनिक जीवन पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। आवश्यक वस्तु अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार आवश्यक वस्तु अधिनियम में जब्त वाहन व माल में कार्यवाही करने का अधिकारी जिला रसद अधिकारी को है। परन्तु पुलिस ने रसद अधिकारी को कोई सूचना नहीं देकर आवश्यक वस्तु अधिनियम के प्रावधानों की अवहेलना की है। आवश्यक वस्तु अधिनियम में धारा 6 ए का इस्तगासा माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करने का अधिकार सिर्फ रसद अधिकारी को है, पुलिस को कोई अधिकार नहीं है। इस प्रकार पुलिस ने आवश्यक वस्तु अधिनियम की अवहेलना की है। इस आधार पर प्रार्थी के जब्तशुदा वाहन को छोड़ा जाना न्यायहित में आवश्यक है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी के उक्त वाहन को सुपुर्दगीनामें पर छोड़े जाने बाबत उचित आदेश पारित फरमाये जावे।

थानाधिकारी पुलिस थाना मांगलियावास से टिप्पणी प्राप्त की गई। थानाधिकारी ने अपनी टिप्पणी दिनांक 20.12.2022 में जब्तशुदा ट्रेलर नं0 आर.जे. 42 जी.ए. 1965 के चालक कैलाश सिंह द्वारा अन्य कथित आरोपीगण सूरज सिंह व राजेन्द्र उर्फ राजू के साथ शामिल होकर षडयंत्र पूर्वक बाजार मूल्य से कम मूल्यों का बेईमानी पूर्वक चोरी का बायो केमिकल डीजल खरीद कर ट्रेलर में भरवाकर कम मूल्य की बजाय बाजार मूल्य की राशि प्रवंचना कर अपने सेठ से प्राप्त कर छल व छोखाधड़ी करना पाया जाने पर आरोपी श्री कैलाश सिंह पुत्र श्री पेमा जाति रावत उम्र 37 साल निवासी रेबारी बाब मौहल्ला हाथीपट्टा पुलिस थाना श्रीनगर जिला अजमेर व अन्य आरोपीगण के विरूद्ध जुर्म धारा 3/7, 4/7, 7/8 ई सी एक्ट व 420, 285, 411, 120 बी भादस का प्रमाणित पाये जाने पर

जिला कलक्टर
अजमेर

नतीजा चार्जशीट नम्बर 80/2022 जुर्म धारा 420, 285, 120 बी आईपीसी व 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 दिनांक 08.06.2022 विरूद्ध मुल्जिम श्री कैलाश सिंह व श्री सूरज सिंह व श्री राजेन्द्र उर्फ राजू के न्यायालय श्रीमान् सीजेएम अजमेर में दिनांक 12.09.2022 को चालान पेश किया गया। प्रकरण माननीय न्यायालय में विचाराधीन होना बताया है।

नीरज जैन प्रभारी (विधि) जिला रसद कार्यालय अजमेर द्वारा प्रस्तुत टिप्पणी दिनांक 22.12.2022 अनुसार प्रकरण कार्यालय से सबंधित नहीं है। प्रकरण पुलिस थाना मांगलियावास द्वारा बनाया गया है जिसके सबंध में थानाधिकारी द्वारा कार्यालय को जानकारी नहीं दी गई है।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। दिनांक 16.10.2021 को सहायक पुलिस अधीक्षक वृत ग्रामीण अजमेर मय जांच दल सूरज सिंह उर्फ कुका की होटल ब्यावर रोड सराधना स्थित के पास में पहुँचे। श्री सूरज सिंह उर्फ कुका की होटल ब्यावर रोड सराधना स्थित कारोबार स्थल पेट्रोलियम उत्पादो का अनाधिकृत व बिना सक्षम अनुज्ञापन के भण्डार कारोबार किया जा रहा है जहां पर होटल की आड में पास में एक बाडे में एक ट्रेक्टर मय टेन्कर, तथा एक टेंकर व एक पिकअप व एक टेलर खडा नजर आया जिसमें से एक ट्रेक्टर मय टेन्कर मय एक मोटर मय प्लास्टिक पाईप मय इलेक्ट्रीक मोटर से जुडे पाये व ट्रेक्टर मय टेन्कर नोजल पाईप मशीन मापक जुडे होना पाया गया जिस पर सहायक पुलिस अधीक्षक वृत ग्रामीण अजमेर मय जाप्ता को दिखाया जिस पर जाप्ता में से श्री सुरज सिंह उर्फ कुका पुत्र श्री गणपत सिंह व दुसरे को राजु चौधरी अशोका होटल निवासी सराधना होना बताया व एक व्यक्ति जो नोजल से ट्रेलर नम्बर आरजे 42 जी.ए 1965 में बायोडीजल भर रहा था। बायो डीजल भरवाने आये ट्रेलर आर.जे. 42 जी ए 1965 को बतौर वजह सबुत जप्त किया गया। जब्तशुदा ट्रेलर नम्बर आर.जे.42 जी.ए 1965 के चालक कैलाश सिंह द्वारा अन्य कथित आरोपीगण सूरज सिंह व राजेन्द्र उर्फ राजू के साथ षडयंत्र पूर्वक बाजार मूल्य से कम मूल्यो का बेईमानी पूर्वक चोरी का बायो केमिकल डीजल खरीद कर ट्रेलर में भरवाकर कम मूल्य की बजाय बाजार मूल्य की राशि प्रवंचना कर अपने सेठ से प्राप्त कर छल व धोखाधड़ी करना पाया गया। उक्त बायोडिजल का विक्रय किये जाने पर अपराध धारा 420, 285, 379, 120 बी आईपीसी व 3/7, 4/7, 7/8 आवश्क वस्तु अधिनियम 1955 प्रमाणित पाया जाने पर न्यायालय श्रीमान् सीजेएम अजमेर में दिनांक 12.09.2022 को चालान पेश न्यायालय किया गया। पुलिस थाना मागंलियावास द्वारा अनुसंधान के दौरान ट्रेलर नम्बर आरजे 42 जी.ए 1965 को जब्त किया गया है उक्त वाहन को जिला रसद कार्यालय के जांच दल द्वारा जब्त नहीं किया गया है । इससे स्पष्ट हो जाता है कि उक्त वाहन के चालक कैलाश सिंह द्वारा षडयंत्र पूर्वक बाजार मूल्य से कम मूल्यो का बेईमानी पूर्वक चोरी का बायो केमिकल डीजल खरीद कर ट्रेलर में भरवाकर कम मूल्य की बजाय बाजार मूल्य की राशि प्रवंचना कर अपने सेठ से प्राप्त कर छल व धोखाधडी करना पाया गया है। प्रार्थी ने रजि. वाहन नं0 RJ.42 GA 1965 को उसे सुपुर्दगीनामे पर छोड़ने की प्रार्थना की है। अतः जब्तशुदा उपरोक्त वाहन रजि0 नं0 RJ.42 GA 1965 के बायो केमिकल डीजल में प्रथम दृष्टया अवैध करोबार में लिप्त होने के फलस्वरूप

जिला कलक्टर
अजमेर

रूपये 1,00,000/-अक्षरे एक लाख रूपये मात्र की शास्ति राशि आरोपित की जाती है। आरोपित शास्ति राशि प्रार्थी द्वारा जमा करवाने की शर्त पर थानाधिकारी पुलिस थाना मांगलियावास जिला-अजमेर, राशि नियमानुसार राजकोष (सम्बन्धित मद) में जमा करवाकर वाहन रजि0 नं0 RJ 42 GA 1965 की अन्य किसी प्रकरण में आवश्यकता न होने पर नियमानुसार बाद जांच सम्बन्धित वाहन मालिक को सुपुर्द करें। जमा चालान/रसीद, के पालना रिपोर्ट पेश हों।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 28.02.2025 को बाद हस्ताक्षर के खुले इजलास सुनाया गया।

(लोक बन्धु)
जिला कलक्टर, अजमेर